न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, किशनगढ़, जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 104/2021 सी.आई.एस. नं. 09/2017

धर्मेन्द्र साहू व अन्य बनाम हरदेवनाथ व अन्य

दिनांक 12.01.2026

वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित।

इस आदेश द्वारा प्रतिवादी सं. 01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 06.12.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रतिवादी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया था कि वादी के द्वारा अपने वाद के पैरा सं. 9 में पेज नंबर 5 की अंतिम पंक्तियों में एवं पेज नंबर 6 की प्रथम चार–पांच पंक्तियों में यह अंकन किया है कि "वादीगण की जानकारी में आया कि उक्त भूमि के बाबत न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ के यहां प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र कैलाशनाथ के द्वारा उक्त भूमि को पैतृक बताकर उक्त भूमि में अपना हित बताकर उक्त भूमि की खातेदारी दिये जाने बाबत दिनांक 01.04.2010 को वाद पेश कर रखा है तथा उक्त वाद के साथ स्टे प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है, जिसमें न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.11.2011 को आदेश पारित कर आप प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द कर रखा था कि मूल वाद के निर्णय तक उक्त भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करें।"

उक्त आदेश दिनांक 21.03.2016 को प्रभावी था। इस कारण विवादित भूमि के संबंध में वादीगण को पूर्व से ज्ञान होने के कारण एवं प्रतिवादी को भी पूर्व से ज्ञान होने के कारण उक्त कृषि भूमि का विक्रय इकरारनामा निष्पादित करने व करवाने का अधिकार नहीं था। वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में उक्त इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 विधिक रूप से वैध नहीं है। प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण पर सक्षम न्यायालय द्वारा रोक लगाई हुई थी, स्थगन दिया हुआ था। इस कारण दिनांक 21.03.2016 को निष्पादित विक्रय इकरारनामा एक अवैध दस्तावेज है, जिसकी पालना न्यायालय द्वारा नहीं

करवाई जा सकती है। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया कि इस बिन्दु को साक्ष्य के माध्यम से ही निर्णीत किया जा सकेगा एवं साक्ष्य के लिए अभिलेख पर अभिवचन होना आवश्यक है। इस कारण प्रतिवादी अपने जवाब दावे के पैरा सं. 9, पेज नंबर 9 के अंत में पैरा संख्या 9(ए) निम्न प्रकार से संशोधित करवाना चाहता हैः–

(9–ए) कि वादी द्वारा अपने वाद में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी नम्बर 1 के पुत्र कैलाश नाथ द्वारा दिनांक 01.04.2010 को वाद पेश किया हुआ था, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर सक्षम न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ द्वारा दिनांक 24.11.2011 को प्रतिवादी नम्बर 1 को पाबन्द किया गया था कि मूल वाद के निर्णय तक उक्त भूमि का अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करें। इस कारण दिनांक 21.03.2016 को प्रतिवादी नम्बर 1 के द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा अवैध दस्तावेज/निर्बन्धित दस्तावेज होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे दस्तावेज की मना नहीं करवायी जा सकती है।

उक्त वांछित संशोधन वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के आधार पर व प्रतिवादी की तरफ से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जवाब में उठाये गये उजर के आधार पर चाहना, वादी जिरह प्रारम्भ नहीं होने व संशोधन दस्तावेज पर आधारित नहीं होने से संशोधन की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से **लिखित जवाब** प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने कथन किया है कि प्रकरण में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। वादीगण पेश वाद के पैरा सं. 9 में उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत वाद का व प्रार्थना पत्र का हवाला दिया गया है तथा राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र व आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गई हैं। उक्त वादपत्र का जवाब दावा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है, जिसमें उक्त पैरा सं. 9 के संबंध में जवाब दिया गया है। इस प्रकार राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र के तथ्यों की जानकारी प्रतिवादी सं. 1 को शुरूआत से ही रही है। प्रकरण में साक्ष्य वादी में गवाह का शपथ पत्र पेश हो चुका है। प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण को मात्र विलंबित करने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र

पेश किया गया है।

आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के परंतुक में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि पूर्व में पक्षकार को तथ्यों की जानकारी रही है तो उनके संबंध में संशोधन के लिए निवेदन नहीं कर सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता वादी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2024(1)CJ(Civ.)(SC) 115 Basavaraj Vs. Indira & Ors.** पेश किया।

उभयपक्षों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अधिवक्ता वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण में वादी के द्वारा हस्तगत वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की विनिर्दिष्ट अनुपालना व विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2016 के निरस्तीकरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत हस्तगत प्रकरण में वादपत्र पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 ने जरिए प्रार्थना पत्र इस आधार पर जवाब दावे में संशोधन चाहा है कि जिस इकरारनामे का निष्पादन किया जाना है, जो कि दिनांक 21.03.2016 का है, के निष्पादन के समय राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को स्थगन आदेश से पाबंद कर रखा था कि मूल वाद के निर्णय तक उक्त भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित नहीं करे, जिसका उल्लेख वादी ने अपने वादपत्र के पैरा सं. 9 में पेज सं. 5 की अंतिम पंक्तियों में व पेज नंबर 6 की प्रथम चार–पांच पंक्तियों में किया है। उक्त इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 के निष्पादन के समय स्थगन आदेश प्रभावी होने से विक्रय इकरारनामा निष्पादन करने व करवाने का अधिकार नहीं था। अतः इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 को अवैध दस्तावेज होना बताते हुए उसकी पालना न्यायालय द्वारा नहीं करवाए जा सकने व इस आधार पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को इस आधार पर खारिज किए जाने से उक्त बिन्दु का निस्तारण साक्ष्य के माध्यम से किया जाएगा। साक्ष्य में इस संबंध में अभिवचन नहीं होने से प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के पैरा सं. 9 पेज नंबर 9 के अंत में पैरा संख्या 9(ए) में प्रार्थना पत्र के पद सं. 4 में वर्णितानुसार संशोधन करवाना चाहा है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के

अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि वादी के द्वारा अपने वादपत्र के पैरा सं. 9 में पेज सं. 5 की अंतिम पंक्तियों में व पेज नंबर 6 की प्रथम चार–पांच पंक्तियों में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 24.11.2011 का उल्लेख किया है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 को मूल वाद के निर्णय तक उक्त भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित नहीं करने का आदेश दिए जाने का उल्लेख है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में उक्त पैरा के खण्डन स्वरूप में उक्त तथ्यों के खण्डन में अभिवचन करने का पर्याप्त अवसर रहा है। उक्त तथ्यों की प्रतिवादी को पूर्व में जानकारी रही है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य ऐसे कोई नवीन तथ्य नहीं है, जिनकी जानकारी प्रतिवादी को अपना जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् हुई हो। प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाब दावे के पैरा सं. 9 में वादी के उक्त अभिवचन के जवाब में यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र कैलाशनाथ द्वारा हरदेव नाथ एवं परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध राजस्व वाद प्रस्तुत होने एवं मूल वाद के निर्णय तक भूमि को हस्तांतरित नहीं करने का आदेश होने की जानकारी वादीगण को दिनांक 21.03.2016 को ही वक्त निष्पादन इकरारनामा ही दे दी गई थी एवं यह भी बताया गया था कि रजिस्ट्री का समय आने से पूर्व इस मुकदमे में राजीनामा पेश कर दिया जाएगा। इस बात से सहमत होने के बाद ही वादीगण ने इकरारनामा लिखवाकर जवाबकर्ता के हस्ताक्षर करवाए थे।

पेज सं. 8 में पृष्ठ के अंतिम भाग में यह भी तथ्य अंकित किया गया है कि–

"इस आधार पर दिनांक 17.06.2016 को कैलाशनाथ, जवाबकर्ता एवं इनके लड़कों द्वारा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के यहां एक प्रार्थना पत्र मुकदमा सं. 43/2010 को खारिज करने हेतु पेश कर दिया था, जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2016 नियत थी, किंतु उपखण्ड अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने के कारण पत्रावली दिनांक 19.07.2016 को निस्तारित की गयी है, किन्तु इस आधार पर विक्रय पत्र निष्पादित होने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी एवं इन समस्त तथ्यों का ज्ञान वादीगण को भली भांती रहा है। यह ज्ञान वादीगण को जवाबकर्ता द्वारा एवं जवाबकर्ता के पुत्र कैलाश नाथ के द्वारा प्रदान किया गया है एवं उपरोक्त बंटवारा दिनांक 08.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2016 की प्रतियां भी जवाबकर्ता

एवं कैलाश नाथ द्वारा वादीगण के अजय बाफना को उपलब्ध करवा दी गयी थी। इसलिए पैरा सं. 9 के शेष तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद है। यदि वादीगण द्वारा इस इकरारनामें को धोखाधड़ी करके निष्पादित करवाना मानते हैं तो ऐसे इकरारनामे की पालना करवाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। इस रूप में पैरा सं. 9 का जवाब प्रस्तुत है।''

इस प्रकार से उक्त जवाब दावे में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व पैरा सं. 9 में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 के निष्पादन के समय राजस्व न्यायालय के द्वारा भूमि पर स्थगन आदेश होने, वादीगण का उक्त इकरारनामा प्रतिवादीगण द्वारा धोखाधड़ी कर निष्पादित करवाना तथा आश्वासन दिया जाना कि प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण करवाकर उक्त भूमि विवादरहित करके विक्रय पत्र के पंजीयन के समय बकाया राशि प्राप्त कर पंजीयन करवा देगा, यह वादपत्र में उल्लेखित है। प्रतिवादी ने भी जवाबदावे के पैरा सं. 9 में रजिस्ट्री का समय आने से पूर्व मुकदमे में राजीनामा पेश कर देने की बात से सहमत होने के बाद वादीगण का इकरारनामा निष्पादन का उल्लेख किया है। इस प्रकार जिन तथ्यों के संबंध में प्रतिवादीगण संशोधन करवाना चाहते हैं व इकरारनामा को स्थगन आदेश के उल्लंघन में निष्पादित होना बताते हुए संशोधन चाहा है। उक्त विवादित सम्पत्ति पर स्थगन के तथ्यों की जानकारी प्रतिवादीगण को पूर्व में रही है, जिसके संबंध में अपने जवाब दावे में भी अभिवचन किए गए हैं। पूर्व में जवाब दावे के उक्त संशोधन के आधार पर भी इकरारनामे की अवैधता के बचाव को नहीं लेने के संबंध में कोई ठोस कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया है।

उक्त संशोधन वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के जवाब में उठाई गई आपत्ति के आधार पर ही चाहा जाना प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है, किन्हीं ऐसे तथ्यों की जानकारी, जो कि प्रतिवादी को पूर्व में रही है, जो वादी द्वारा अपने वादपत्र में अभिवंचित किए गए हो, जिनके संबंध में जवाब दावे में भी उल्लेख किया गया हो, उनके संबंध में संशोधन कर बचाव के अतिरिक्त आधार के रूप में साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर जोड़ने की अनुमति दिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि प्रकरण में विवाद्यक विनिश्चित किए जा चुके हैं। साक्ष्य वादी में गवाह का

शपथ पत्र पेश हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा जो संशोधन चाहा गया है, वह उक्त विवेचनानुसार अनुमत किया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश हो चुका है। आयन्दा गवाह को आवश्यक रूप से उपस्थित रखा जावे। प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। आयंदा गवाह के उपस्थित आने पर आवश्यक रूप से जिरह की जाए।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 19.01.2026 को पेश हो।